

प्रश्न 1431

बुल्लू वन वृत्त में वन रक्षकों की लिखित परीक्षा के परिणाम के अनुसार मूल्यांकन हेतु (Evaluation) हेतु उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची :-

रोल नं० : 1600039, 1600079, 1600141, 1600142, 1600360, 1600699, 1600758, 1600838, 1601056, 1601075, 1601088, 1601126, 1601188, 1601219, 1601236, 1601296, 1601542, 1601616, 1601675, 1601928, 1601942, 1601945, 1601956, 1601986, 1601990, 1602021, 1602129, 1602396, 1602402, 1602491, 1602552, 1602665, 1602761, 1602841, 1602905, 1602956, 1602976, 1603041, 1603082, 1603097, 1603225, 1603249, 1603259, 1603391, 1603434, 1603496, 1603645, 1603651, 1603672, 1603802, 1603818, 1604728, 1604733, 1604770, 1604822, 1604929, 1605170, 1605268, 1605344, 1605347, 1605401, 1605579, 1605590, 1605625, 1605631, 1605635 एवं 1605637

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एफओएफओई०-बी-2017 दिनांक 26.8.2017 की अनुपालना में उपरोक्त अभ्यर्थियों को 15 अंको के मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं सत्यापित छाया प्रति सहित दिनांक 07.9.2017 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हों। यद्यति इस संदर्भ में उन्हें बुलावा पत्र/निमन्त्रण पत्र भेज दिया गया है तथा मूल्यांकन का अनुसूचि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है तथापि यदि कारणवश किसी अभ्यर्थी को 15 अंको के मूल्यांकन हेतु बुलावा पत्र/निमन्त्रण पत्र प्राप्त नहीं होता है तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह परिणाम विभागीय website www.forp.gov.nic.in पर भी उपलब्ध है, अतः अभ्यर्थी इसे ON Line विभागीय site में भी देख सकते हैं।

अभ्यर्थी का 15 अंको का मूल्यांकन (Evaluation) निम्नलिखित रीति में किया जाना है :-	
i)मर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता	2.5 अंक
ii)यथास्थिति,अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	1 अंक
iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हैक्टेयर कम भूमि वाले कटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, से सम्बन्धित प्रमाण पत्र	1 अंक
iv) इस प्रभाव का गैर- नियोजन प्रमाण-पत्र कि कटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/गैर सरकारी सेवा में नहीं हैं।	1 अंक
v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	1 अंक
vi) एन०एस०एस० (कम से कम एक वर्ष) एन०सी०सी० में प्रमाण पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड /राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता प्रमाण पत्र।	1 अंक*
vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000 /- से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला वी०पी०एल० कटुम्ब प्रमाण पत्र।	2 अंक
viii) विधवा /तलाक शुदा/अकिंचन /एकल महिला प्रमाण पत्र	1 अंक
ix) इकलीती पुत्री/अनाथ	1 अंक
x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम 6 मास की अवधि का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र	1 अंक
xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित 5 वर्ष तक का अनुभव ,प्रत्येक पूर्ण किये गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) प्रमाण पत्र	2.5 अंक

(* क्योंकि वन रक्षक के प्रवर्ग को दिव्यांगजन के लिए तात्पर्यित तीन प्रतिशत आरक्षण से छूट है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस विन्दु के अधीन कोई अंक नहीं दिया जायेगा।)

नोट: यद्यपि परिणाम पूर्ण सतर्कता से तैयार किया गया है तथापि परिणाम में कोई त्रुटी पाई गई तो इसे ठीक करने के लिए यह कार्यालय पूर्ण अधिकार रखता है।

प्रतिलिपि वी-8-डी 21ए/ 3596-3600
सम्पादक पंजाब केंसरी, दैनिक जागरण, दिव्य हिमाचल, एवं अमर उजाला
कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

अरण्यपाल, कुल्लू
वन वृत्त कुल्लू।
31/8/2017
अध्यक्षक
अरण्यपाल, कुल्लू
वन वृत्त कुल्लू।